

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं.सं.-02/CMT-80/2012..... परि0

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय : विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ई-रिक्शा से संबंधित विज्ञापन सामाग्री सी0डी0 सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य के हिन्दी/अंग्रेजी के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इस विज्ञापन को लगातार दो दिनों तक प्रमुखता से प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना


ज्ञापांक-

5973

पटना, दिनांक-

31/0/16

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग बिहार, पटना को सूचना प्रति के साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य में परिचालित ई-रिक्शा के निर्माता/आपूर्तिकर्ता/आयातक-निर्यातक
सभी कंपनी कृपया ध्यान दें:-

श्री कनिष्क सिन्हा, प्रबंध निदेशक, Jaspur Motors Pvt.Ltd. (98-A Mundar Sah, Akaswani Road, Khajpura, Po- B.V College, P.S. Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar.) द्वारा ई-रिक्शा के Patent के संबंध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर याचिका W.P-8290(W)/2015, W.P-27399(W)/2015, W.P-27403(W)/2015 में दिनांक-18.02.2016 को पारित आदेश, W.P-28674 (W)/2014 में दिनांक-12.05.2015 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.L.P (C) No-6316/2016 में दिनांक-11.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक-24.02.2016 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया था।

श्री सिन्हा द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित अभ्यावेदन पर दिनांक-05.08.2016 को सुनवाई की गई। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित कागजातों/साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के पश्चात प्रधान सचिव, द्वारा दिनांक-14.09.2016 को आदेश पारित किया गया है।

पारित आदेश में बिहार राज्य में परिचालित सभी ई-रिक्शा के निर्माता/आपूर्तिकर्ता/आयातक-निर्यातक कंपनी के सक्षम प्राधिकार को यह निर्देश दिया गया है कि M/S- Jaspur Motors Pvt.Ltd. पटना के साथ E-Rickshaw के Patent से संबंधित विवाद आपसी विमर्श से निपटारा किया जाय, एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा पारित आदेश पत्रांक-5551 दिनांक-14.09.2016 की प्रति विभागीय वेबसाइट-transport.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विभागीय वेबसाइट से Download कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(हस्ताक्षर)

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।